

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2018

जयपुर, दिनांक : 27.12.2018

आदेश


माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा अपील संख्या 4440/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 17.12.2018 की पालना में मा. अधिकरण के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन डा. प्रभाकर व्यास, चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सांगोद, कोटा के पद पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान करते हुए यहां पदस्थापित डा. यादवेन्द्र शर्मा, चिकित्सा अधिकारी को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भाडाहेडा, कोटा में पदस्थापित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा अपील संख्या 4440/2018 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 17.12.2018 को शीघ्र वैकैट कराये जाने की कार्यवाही करावें।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन कोटा
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा
5. संबंधित अधिकारी
6. कम्प्यूटर सेल
7. निजी /रक्षित पत्रावली


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव